

नंबर
अधिवक्ता

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कटूमर जिला अलवर

7/31/2020

तारीख रजु.....

नानगाराम

बनाम मुकेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.06.2020	<p>वकील वादी उपस्थित। यह वादी की ओर से वकील वादी श्री रामजीलाल शर्मा एड0 ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दावा दर्ज रजि0 हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 28.07.. 2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)</p> <p>28/7/20</p> <p>मुकाम करीफिन एच/P.O. गांव - Comd-18-1 पत्रावली दिनांक 28/7/20 को पेश हो।</p> <p>11/7/20</p> <p>उपस्थित 1 संघर्षा आदेश दिनांक 4-6-20 की पालना में पत्रावली वास्तुतः <i>[Signature]</i> दिनांक 25/7/20 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)</p> <p>25/7/20</p> <p>पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. ने कार्य अधिसूचना रखा है। P.O. साहव 3-7-20 का 14 है। पत्रावली दिनांक 6/5/21 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>मुकाम करीफिन एच/P.O. गांव - Comd-18-1 पत्रावली दिनांक 14/7/20 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	

6/5/21

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर अहकाम की तारीख</p>
--------------------	---	-------------------------------------

14/12/22

पत्रावली 19 के 1 के मय कार्ड में पेश हुई.

पक्षकारान्.....

 नहीं होने के कारण प्रकरण पर विचारण नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 12/12/22 को न्यायालय द्वारा में पेश हो

सुप्रीम अदालत
 कठुवर (अलवर)

25/1/22

पत्रावली 25/1/22
 सार्वजनिक अदालत दिनांक
 की याचना में पत्रावली करते 25/1/22
 दिनांक 29.4.22 को पेश हो:

सुप्रीम अदालत
 कठुवर (अलवर)

29.4.22

पत्रावली में इसी वारी की कोर्ट में प्रेषित किया गया
 एडवोकेट के माध्यम से पत्रावली के साथ ही अर्जित
 पत्र पेश कर अनपेक्षित वकालत पत्र पेश करने की
 रजिस्ट्रार के खातिर करने का निर्देश किया
 इस पत्र पत्रावली को अपलोड किया गया। अतः अतः
 पत्र 25/1/22 दिनांक पत्र के माध्यम पर एडवोकेट
 पर खातिर किया जा रहा है पत्रावली में अर्जित
 धुमाकट एक नमूने ले कर लेने के लिए एडवोकेट के माध्यम से
 पत्रावली के माध्यम से

अर्जित
 की याचना
 की जा रहा है
 न्यायालय
 सुप्रीम अदालत
 कठुवर (अलवर)

सुप्रीम अदालत
 कठुवर (अलवर)